न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 36/2018

उनवान

तहसीलदार, नीमकाथाना — बनाम — राजस्व ग्राम रैला

प्रार्थना पत्र बाबत्
रिकार्ड दुरस्ती

<u>निर्णय</u> — दिनांकः– 20-6-2018

प्रार्थना पत्र तहसीलदार, नीमकाथाना की ओर से पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि डी आई एल आर एम पी योजनान्तर्गत ख.न. एवं जमाबन्दी की वन टू वन मैपिंग की जानी है, ताकि नक्शा एवं अधिकार अभिलेख की समानता बनी रहने बाबत् प्रार्थी पटवारी हल्का घाटीपुरा के द्वारा ग्राम रैला के भूमि ख.न. पुराना 298 का प्रस्ताव प्रार्थना पत्र धारा 128 से 131 136 एल आर एक्ट के तहत भिजवाया गया है, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पाटन एवं तहसीलदार, नीमकाथाना ने अपनी अभिशंषा अंकित कर दुरूस्ती किये जाने हेतु मूल प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये है।

तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त प्रस्ताव डी आई एल आर एम पी योजनान्तर्गत स्वीकार किये जाते है तथा मुताबिक प्रस्ताव पटवारी हल्का घाटीपुरा के अनुसार प्रस्तावित रिपोर्ट दिनांक 12-6-2018 राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार, नीमकाथाना को दिये जाते है।

यह आदेश डी आई एल आर एम पी योजनान्तर्गत सेग्रीगेशन के तहत ख.न. एवं जमाबन्दी की वन टू वन मैपिंग हेतु जारी किया जा रहा है। नवीन तथ्य की जानकारी आने पर प्रभावित पक्षकार सुधार हेतु इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र रहेगा। किसी भी न्यायालय का स्थगन हो तो यह आदेश माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा। प्रस्ताव/रिपोर्ट दिनांक 12/6/2018 आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20-6-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना